

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 17/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : Smt. शारदा बामरा vs श्री योगेश्वर शुक्ला GRERA-P-Exc.m-PRO-2020-01034

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
30-10-2021	<p>प्रकरण वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।</p> <p>आवेदिका स्वतः उप।</p> <p>अनावेदक द्वारा श्री दीवान अधि।</p> <p>इसी स्तर पर योगेश्वर शुक्ला ने उपस्थित होकर आवेदिका का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आवेदिका को आदेशित संपूर्ण राशि की प्राप्ति हो चुकी है और वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। अतः प्रकरण समाप्त किया जाये। उक्त आवेदन की संपुष्टि आवेदिका के द्वारा की गई है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2021 को आवेदिका को 12 लाख रु. दिये जाने का आदेश पारित किया गया था। आवेदिका ने उक्त आदेशित राशि को अनावेदकगण से प्राप्त कर लिया है। अतः आदेश की पूर्ण संपुष्टि में प्रकरण खारिज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयवाधि में अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	

(दीपा कटारे) अधिकारी
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर